



# सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच की भूमिका पर तलवारें खिंची मोदी सरकार व विपक्ष में

**सरकार का कहना है कि श्रीमती बुच को कठघरे में खड़ा करके विपक्ष उस बड़यंत्र का हिस्सा बन गया है, जो भारत में कोई "इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट" नहीं होने देना चाहता**

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, त्रिवेदी विंडोवर में आरोप लगाया गया है कि एस.आई.पी.आई. (सेबी) की ओर से गई आरोपियों की गिरफतारी को कार्रवाई को सही माना है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी स्पैशल

- सरकार का यह भी कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने श्रीमती बुच व अडानी ग्रुप की सांठ-गांठ का आरोप लगाया है, के मालिक हंगरी में जन्मे अमेरिकी इन्वेस्टर सोरेस हैं तथा सोरेस शुरू से भारत, नरेन्द्र मोदी व भाजपा के खिलाफ प्रोगेंडा करते रहे हैं।
- दूसरी ओर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि श्रीमती बुच, सेबी की अध्यक्ष के रूप में सदा अडानी ग्रुप के बचाव में रही है।
- तथा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में प्रकाशित सबूत व आरोपों, जिनकी पुष्टि 40 निष्पक्ष व स्वतंत्र मीडिया ग्रुप ने भी की है, की अनेदखी करती रही हैं, सेबी की अध्यक्ष के रूप में।
- हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि श्रीमती बुच ने इस बात को भी कभी सार्वजनिक नहीं किया कि उनके पास उस कंपनी में शेयर थे जिसे अडानी ग्रुप ने काम में लिया था, अपना ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिये।
- सेबी के नियमों के अनुसार, सेबी के किसी भी अधिकारी का उस केस में थोड़ा बहुत भी "इन्वेस्टर" है, जिसकी सेबी जाँच-प्रिताल कर रही है या करने की सोच रही है तो उस अफसर के लिए "अपना इन्वेस्टर" सार्वजनिक करना या उस जाँच से अपने को अलग कर लेना अनिवार्य होता है।

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में विस्तृत विवरोंको जो हालात देते हुये यह बात किया गया है कि बुच दम्पित आई.पी.ई. प्लॉट और एक ऑफशोर (देश से बाहर स्थित) फर्म है, (स्क्रॉटन) में आगई है रिपोर्ट में आरोप विनोद (कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर) के हिस्से के लिये अनेक ऑफशोर फंड्स से जुड़ा है। विनोद एक सार्वजनिक कंपनी है, जो मानी-लॉन्डरिंग लगाया गया है कि गोतम अडानी का भाई, के रूप में करता था, जो मानी-लॉन्डरिंग

सिंघानिया वि.वि. पर कार्रवाई क्यों नहीं- हाई कोर्ट

जयपुर, 12 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल मैट्डिकल काउन्सिल (एन.एम.सी.) से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित करने वाली ज्ञानंगुन् की सिंघानिया युनिवरिसिटी के खिलाफ

- डॉ. किरोड़ी, भजनलाल सरकार में ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन मंत्री के पद पर ही थे।
- मंगलवार को भी डॉ. किरोड़ी पूर्वी राजस्थान के जिलों का दौरा करेंगे।
- भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा कि डॉ. किरोड़ी जल्दी ही मंत्री पद की जिम्मेवारी संभालेंगे।

मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पिछले दो दिन से किरोड़ी प्रेस में गैरवान के बाद किरोड़ी विभाग का कामकाज नहीं देख रहे थे। लेकिन अब अनावक किरोड़ी आदा प्रबंधन विकास और आपदा प्रबंधन विभाग का संभाल ले रहे हैं। अब भजनलाल सरकार में ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन विभाग का संभाल ले रहे हैं।

- मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पिछले दो दिन से किरोड़ी प्रेस में गैरवान के बाद किरोड़ी विभाग का कामकाज नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब अनावक किरोड़ी आदा प्रबंधन विकास और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब अनावक किरोड़ी आदा प्रबंधन विकास और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी नहीं देख रहे हैं।
- मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पिछले दो दिन से किरोड़ी प्रेस में गैरवान के बाद किरोड़ी विभाग का कामकाज नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब अनावक किरोड़ी आदा प्रबंधन विकास और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी नहीं देख रहे हैं।

उसके बाद से ही किरोड़ी विभाग का कामकाज नहीं देख रहे हैं। लेकिन,

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।

नैशनल मैट्डिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे हूँस्कूनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जावाब लेता है।







कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा									
CAD सर्किल के पास कोटा फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट- <a href="https://lsg.rajasthan.gov.in/uitkota/#home/dphome">https://lsg.rajasthan.gov.in/uitkota/#home/dphome</a>									
एक 11/नीलामी/2024/1617 Udhonline.rajasthan.gov.in (Helpline for online support-01412560211) दिनांक 12.08.2024									
ई-आवश्यन के माध्यम से भूखण्ड खीदने का अवसर									
प्राधिकरण कोटा में S.S.O. आईडी के माध्यम से भूखण्डों/आवासों का ई-आवश्यन प्रारम्भ किया जा रहा है। ई-आवश्यन में भाग लेने हेतु पंजीयन शुल्क/इम्पोर्ट ऑनलाइन जमा करना होगा। नीलामी की विद्युत शर्तें कोटा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट <a href="https://lsg.rajasthan.gov.in/uitkota/#home/dphome">https://lsg.rajasthan.gov.in/uitkota/#home/dphome</a> पर देखी जा सकती है।									
ई-नीलामी से क्रय किये गये भूखण्डों की 15 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि को सम्पादित करते हुए 3 कार्य दिवसों में जमा होने वे नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की ही होगी।									
नोट-सभी नीलामी कार्यक्रम प्रारम्भ होने का समय प्रातः 10:00 बजे एवं समाप्ति समय प्रातः 11:00 बजे रहेगा।									
दैनिक नीलामी कार्यक्रम का विवरण									
क्रम	योजना का नाम	स्थल/पंजीय	भूखण्ड की संख्या	आवश्यक दर (नीलामी कर की राशि हेतु) प्र.व.रु.	प्रारम्भिक दर प्र.व.रु./ प्र.व.रु.	पर्याप्त राशि (EMD)	सम्बन्धित कार्यों अधिकारी एवं नीलामी नाम	सम्बन्धित कार्यों अधिकारी एवं नीलामी नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ई-आवश्यन की प्रारम्भ तिथि 21.08.2024 ई-आवश्यन की सामाप्ति तिथि 23.08.2024									
1.	आरोप नगर आवासीय कम व्यावसायिक योजना	CR-01 Corner	0.7016/2*9=62.05 प.व.रु.-600.	7500/- प.व.रु.	11000/- प.व.रु.	12500/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
2.	चापलसुरी आवासीय योजना	47 कोर्नर	7.5*16=112.5 प.व.रु. -1210.5 प.व.रु.	8000/- प.व.रु.	3520/- प.व.रु.	85500/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
3.	विनोदी नगर आवासीय योजना	1239 Corner	6.50*9=49.5 प.व.रु.-632.02 प.व.रु.	7500/- प.व.रु.	4400/- प.व.रु.	47000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
ई-आवश्यन की प्रारम्भ तिथि 22.08.2024 ई-आवश्यन की सामाप्ति तिथि 26.08.2024									
4.	आरोप नगर आवासीय कम व्यावसायिक योजना	CR-50 Corner	6.10*6/2*9=61.76 प.व.रु.-598.63	7500/- प.व.रु.	11000/- प.व.रु.	123000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
5.	चापलसुरी आवासीय योजना	119-९	9*18.50=178.5 प.व.रु. -1688.38 प.व.रु.	8000/- प.व.रु.	3200/- प.व.रु.	121000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
6.	पुकुरपा विहार में व्यावसायिक योजना	5	30*28.05=869.5 प.व.रु.	10000/- प.व.रु.	18000/- प.व.रु.	310000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
ई-आवश्यन की प्रारम्भ तिथि 23.08.2024 ई-आवश्यन की सामाप्ति तिथि 26.08.2024									
7.	आरोप नगर आवासीय कम व्यावसायिक योजना	CR-09 Corner	4.90+10.30/2*9=88.40 प.व.रु.-735.00 प.व.रु.	7500/- प.व.रु.	11000/- प.व.रु.	162000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
8.	पुकुरपा विहार में व्यावसायिक योजना	7	30*28.05=869.5 प.व.रु.	10000/- प.व.रु.	18000/- प.व.रु.	310000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
9.	चापलसुरी आवासीय योजना	225	12*21=262 प.व.रु. -2711.52 प.व.रु.	8000/- प.व.रु.	3200/- प.व.रु.	174000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
ई-आवश्यन की प्रारम्भ तिथि 26.08.2024 ई-आवश्यन की सामाप्ति तिथि 29.08.2024									
10.	आरोप नगर आवासीय कम व्यावसायिक योजना	CR-51 Corner	3.61+10.20/2*9=47.47 प.व.रु.-510.	7500/- प.व.रु.	11000/- प.व.रु.	112500/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
11.	पुकुरपा विहार में व्यावसायिक योजना	8	30*28.05=869.5 प.व.रु.	10000/- प.व.रु.	18000/- प.व.रु.	276000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
12.	चापलसुरी आवासीय योजना	227	12*21=262 प.व.रु. -2711.52 प.व.रु.	8000/- प.व.रु.	3200/- प.व.रु.	174000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
ई-आवश्यन की प्रारम्भ तिथि 28.08.2024 ई-आवश्यन की सामाप्ति तिथि 30.08.2024									
13.	आरोप नगर आवासीय कम व्यावसायिक योजना	CR-67 Corner	10.05+18.00/2*9=48.45 प.व.रु. -408.39 प.व.रु.	7500/- प.व.रु.	11000/- प.व.रु.	103500/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
14.	पुकुरपा विहार में व्यावसायिक योजना	12	30*28.05=869.5 प.व.रु.	10000/- प.व.रु.	18000/- प.व.रु.	276000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
15.	चापलसुरी आवासीय योजना	228	12*21=262 प.व.रु. -2711.52 प.व.रु.	8000/- प.व.रु.	3200/- प.व.रु.	174000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
ई-आवश्यन की प्रारम्भ तिथि 29.08.2024 ई-आवश्यन की सामाप्ति तिथि 02.09.2024									
16.	आरोप नगर आवासीय कम व्यावसायिक योजना	CR-11 Corner	7.70+10.20/2*9=88.40 प.व.रु.-420.	7500/- प.व.रु.	11000/- प.व.रु.	94500/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	श्री प्रदीप असराल 9571619111 श्रीमती नीलामी व्यास 9587250588	
17.	पुकुरपा विहार में व्यावसायिक योजना	23	30*28.05=869.5 प.व.रु.	10000/- प.व.रु.	18000/- प.व.रु.	310000/-	श्री प्रदीप असराल 9571619111<br		





